लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल–462021

दूरभाष 0755–2583650 ई–मेल dpividhya@gmail.com

आवक 2924
दिनांक 27/12/21

क्रमांक / पाठ्येत्तर गति / सी / सा.नै.क्ष.वि. / 2021 / 2005 भोपाल, दिनांक 16-12-21

प्रति

1.समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

2.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।

विषयः–मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम को पुनः प्रारम्भ करने हेतु उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग से सहयोग प्राप्त किये जाने के संबंध में बैठक दिनांक 09 सितम्बर 2021 का कार्यवाई विवरण पर क्रियान्वयन।

संदर्भः–योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 900–901/1639/2021/23/योआसा. भोपाल दिनांक 13/10/2021

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम को पुनः प्रारम्भ करने हेतु उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग से सहयोग प्राप्त किये जाने के संबंध में बैठक दिनांक 09 सितम्बर 2021 को आयोजित बैठक के संदर्भित कार्यवाई विवरण की छायाप्रति संलग्न है।कार्यवाई विवरण के बिन्दु क्रमांक दो में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निम्नानुसार किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार हैः–

(1) जिन विकासखंड मुख्यालयों पर महाविद्यालय संचालित नहीं है। ऐसे विकासखण्डों में शैक्षणिक सत्र 2021–22 में पाठ्यक्रम अंतर्गत कार्यक्रम का कियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों में किये जाने की अनुमति दी जाती है।

(2)स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों को महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र के रूप में मान्यता दी जावेगी। महाविद्यालय के प्राचार्य को पाठ्यकम हेतु अध्ययन केन्द्र प्रभारी घोषित किया जावेगा।

(3) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालय परिसर में कक्षा के संचालन हेतु स्मार्ट क्लास की सुविधा युक्त 05 कक्ष,वर्चुअल क्लास रूम,प्रसाधन,आलमारी,पुस्तकालय, स्टाफ रूम एवं कम्प्यूटर लेबोरेटरी उपलब्ध करायी जावेगी। पाठ्यकम के छात्रों को चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र के आधार पर पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर लेबोरेटरी का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की जावेगी।

(4) अध्ययन केन्द्र प्रभारी प्राचार्य के माध्यम से रविवार को कक्षा संचालन की आवश्यक व्यवस्था हेतु एक प्रभारी व्यक्ति का तथा पेयजल व्यवस्था,साफ–सफाई व अन्य कार्यों के लिए एक भृत्य का नामांकन कराया जावेगा।इन व्यक्तियों का मानदेय का भुगतान म.प्र. जन अभियान परिषद् द्वारा किया जावेगा।

(5)कक्षाएं केवल रविवार को संचालित की जावेगी। रविवार के दिन कक्षा उपलब्ध न होने अथवा किसी विशेष स्थिति में अन्य दिवसों में,महाविद्यालय के समान्य अध्ययन–अध्यापन एवं अन्य कार्यों को प्रभावित किये बिना,कक्षा संचालन हेतु कक्ष उपलब्ध कराये जावेंगे।

(6) अध्ययन केन्द्र प्रभारी प्राचार्य को पाठयकम अंतर्गत अकादमिक गतिविधियों आदि के संबंध में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा यथोचित निर्देश एवं परिपत्र अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये जावेंगे।

(7)अर्द्धवार्षिक/प्रायोगिक/वार्षिक परीक्षा के आयोजन में अध्ययन केन्द्र प्रभारी प्राचार्य एवं अन्य स्टाफ द्वारा अकादमिक/प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किये जावेंगे। इस कार्य हेतु निर्धारित राशि चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यकम को पुनः प्रारम्भ करने हेतु आयोजित बैठक दिनांक 09 सितम्बर 2021 के कार्यवाई विवरण के अनुपालन में स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों में उपलब्ध संसाधन आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न :उपरोक्तानुसार

(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठा. क्रमांक / पाठ्येत्तर गति / सी / सा.नै.क्ष.वि. / 2021 / 2006 भोपाल, दिनांक 16-12-21

प्रतिलिपिः–

1.प्रमुख सचिव मान.मुख्यमंत्री कार्यालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।

2.प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग/योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय भोपाल ।

3.महानिदेशक मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् भोपाल।

4.उप सचिव मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल म.प्र.।

5.कार्यपालक निदेशक म.प्र.जन अभियान परिषद् भोपाल।

6.ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र